न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजस्व रायसिंहनगर

पीठासीन अधिकारीः– अर्पिता सोनी, आर.ए.एस.

प्र.सं. 69/2019
सी.सी.एम.एस. : 2019/00217

1. करनैल कौर पुत्र रूप सिंह पत्नी जगसीर सिंह जाति जटसिख निवासी 12 एनआरडी तहसील रायसिंहनगर हाल निवासी बसन्ती चौक वार्ड नं. 19 ब्रहम कालोनी, श्रीगंगानगर राज0

–प्रार्थीया

बनाम

1. गुरचरण सिंह उर्फ चन्ना सिंह जाति जटसिख————————मृतक
1/1. जसवीर कौर पत्नी गुरचरण सिंह उर्फ चना सिंह जाति जटसिख निवासी 12 एनआरडी तहसील रायसिंहनगर
1/2. जसकरण सिंह पुत्र गुरचरण सिंह उर्फ चना सिह जाति जटसिख निवासी 12 एनआरडी तहसील रायसिंहनगर
1/3. स्वर्ण सिंह पुत्र गुरचरण सिंह उर्फ चना सिंह जाति जटसिख निवासी 12 एनआरडी तहसील रायसिंहनगर
1/4. राजकौर पुत्री गुरचरण सिंह उर्फ चना सिंह पत्नी अमनदीप सिह जाति जटसिख निवासी 3 एसपीडी तहसील सूरतगढ़
2. जसवीर कौर पुत्री रूप सिंह जत्नी गुरचरण सिंह जाति जटसिख निवासी वार्ड नं. 10 पुरानी आबादी श्री गंगानगर
3. काटी कौर पुत्री रूप सिह पत्नी करतार सिंह जाति जटसिख निवासी खटीको का मोहल्ला एलनाबाद जिला सिरसा हरियाणा
4. मेजर कौर पुत्री रूप सिंह पत्नी सुखदेव सिंह ——————————मृतक
4/1. जसा सिंह पुत्र सुखदेव सिंह जाति जटसिख निवासी लुहारा तहसील गिदडबाह जिला मुक्तसर पंजाब
4/2. घोषी पुत्री सुखदेव सिंह पत्नी लखा सिंह जटसिख निवासी भूलर दोधा कोनी तहसील गिदडबाह जिला मुक्तसर पंजाब
4/3. जिन्द्र सिंह पुत्र सुखदेव सिंह जाति जटसिख निवासी लुहारा तहसील गिदडबाह जिला मुक्तसर पंजाब
5. बन्ता सिह पुत्र रूप सिंह————————————————मृतक
5/1. सुखजीत कौर पत्नी बन्ता सिंह जाति जटसिख निवासी 12 एनआरडी ढाणी तहसील रायसिंहनगर
5/2. रिंकू पुत्री बन्ता सिंह पत्नी वीरा सिंह जाति जटसिख निवासी पतली तहसील सादुलहशर जिला श्रीगंगानगर
5/3. अमनदीप कौर पुत्र बन्ता सिंह पत्नी सतनाम सिंह जाति जटसिख निवासी 12 एनआरडी तहसील रायसिंहनगर
5/4. मनु पुत्री बन्ता सिंह पत्नी गुरमीत सिंह जाति जटसिख निवासी निरवाना तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर राज0
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार [illegible] रायसिंहनगर
7. सतनाम सिंह पुत्र गुरमीत सिंह जाति जटसिख [illegible] एनआरडी ढाणी तहसील रायसिंहनगर
8. सुखजीत सिंह पुत्र तेजा सिंह जाति जटसिख [illegible] तहसील रायसिंहनगर जिला श्री गंगानगर राज0

Signature Not Verified
Digitally signed by Arpita Soni
Date: 2021.02.02 13:46:10 IST
Reason: SelfAttested

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर टी एक्ट

उपस्थितिः–

उपखण्ड अधिकारी राजस्व
रायसिंहनगर

Scanned with CamScanner

1. श्री राजीव जग्गा, वकील प्रार्थी
2. श्री रविन्द्र बिश्नोई, वकील अप्रार्थीगण

–: निर्णय :–

दिनांक :19.01.2021

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि प्रार्थीया ने वाद पत्र के साथ स्थगन प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीया के पिता रूप सिह पुत्र फूमण सिंह को वाके चक 11 एनआरडी तहसील रायसिंहनगर का मु.नं. 24 प.नं. 112/311 में 12 बीघा नहरी व 12 बीघा बारानी कुल 24 बीघा नहरी बारानी एवं चक 12 एनआरडी का मु.नं. 15 प.नं. 113/315 में 6.200है. नहरी मय खाला भूमि पुख्ता आंवटित हुई थी। रूप सहि द्वारा अपनी उक्त भूमि के संबंध में अपने जीवनकाल तक किसी प्रकार की कोई वसीयत आदि नहीं की गयी थी तथा ना ही उक्त भूमि का अपने परिवार के सदस्यों के मध्य किसी प्रकार का कोई बंटवारा ही किया गया था। रूप सिंह का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान प्रार्थीया एवं गुरचरण सिंह उर्फ चन्ना सिंह, जसवीर कौर तथा काटी कौर, मेजर कौर, बन्ता सिंह एवं गुरजन्ट सिंह कुल 7 ही जायज वारिस एवं उत्तराधिकारी हैं। मृतक बंता सिंह अविवाहित ही फौत हो चुका है जिसके जायज वारिसान प्रार्थीया एवं अप्रार्थीगण सं. 1 ता 5 ही है इसके अलावा अन्य कोई वारिस नहीं हैं। उक्त भूमि में प्रार्थीया व अप्रार्थीगण सं. 1 ता 5 ब0हि0ब0 के हकदार हैं। प्रार्थीया उक्त भूमि में रूप सिंह की बतौरजायज वारिस एवं उत्तराधिकारी 1/6 भाग घोषित करवा पाने की विधिक अधिकारी हूं। प्रार्थीया के भाई गुरचरण सिंह – बन्ता सिंह तथा गुरजन्ट सिंह तीनों चालाक एवं होशियार किस्म के व्यक्ति थे जिन्होने अपने जीवन काल में छल कपट व धोखाधड़ी से मृतक रूप सिह के अपने आपको ही कुल तीन ही जायज वारिसान बताने हुए उपरोक्त भूमि की सनद खाातेदारी हासिल कर उक्त भूमि का नामान्तकरण अपने नाम से दर्ज करवा लिया। अप्रार्थीगण द्वारा 12 एनआरडी का मु.नं. 15 की 0.759है. अप्रार्थी सं. 7 को व 1.240है. अप्रार्थी सं. 8 को हस्तांतरित कर दी व शेष हिस्सा की भूमि अप्रार्थीगण के नाम से अलग–2 हिस्सानुसार दर्ज चली। प्रार्थीगया द्वारा उक्त भूमि में से प्रार्थीया के हक हिस्सा की भूमि का अमलदरामद करवाने हेतु ज्यादा जोर डाला तो अप्रार्थीगण इन्कार हो गये तथा धमकी दी कि वह शीघ्र ही उक्त भूमि को आगें किसी अन्य को हस्तान्तरण रहन, बैय कर प्रार्थीया को मेरे हक एवं हिस्सा की भूमि से वंचित करेंगे। अगर अप्रार्थीगण अपने उपरोक्त विधि विरूद्ध कृत्य में कामयाब हो जाते हैं तो प्रार्थीया को न पूरा होने वाला नुकसान होगा व प्रार्थीया अपने हक एवं अधिकारों से वंचित हो जाएगी। मुकदमेबाजी बढेगी। प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आश्य की अस्थाई निषेधाज्ञा पारित करने हेतु निवेदन किया कि चक 11 एनआरडी तहसील रायसिंहनगर का मु.नं. 24 प.नं. 112/311 में 12 बीघा नहरी व 12 बीघा बारानी कुल 24 बीघा नहरी बारानी एवं चक 12 एनआरडी का मु.नं. 15 प.नं. 113/315 में 6.200है. नहरी मय खाला भूमि को किसी भी प्रकार से किसी अन्य को रहन, बैय, हस्तान्तरित करने से बाज व ममनु रहे तथा ऐसा कोई कृत्य नहीं करे जिससे प्रार्थीया उक्त भूमि में अपने हक एवं हिस्सा की भूमि से बेदखल व वंचित होती हैं। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। तथा दिनांक 10.07.2019 को अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आश्य की अस्थाई निषेधाज्ञा पारित की गयी कि "चक 11 एनआरडी तहसील रायसिंहनगर का मु.नं. 24 प.नं. 112/311 में 12 बीघा नहरी व 12 बीघा बारानी कुल 24 बीघा नहरी बारानी एवं चक 12 एनआरडी का मु.नं. 15 प.नं. 113/315 में 6.200है. नहरी मय खाला कुल तादादी 12.272है. नहरी मय खाला भूमि में से प्रार्थी के हक हिस्से तक की भूमि पर आगामी तारीख पेशी तक रिकार्ड की यथास्थिति बनायें रखें।"

अप्रार्थी सं. 7–8 ने जवाब प्रार्थना [illegible] मुताबिक रिकार्ड गुरचरण सिंह, बन्ता सिंह व गुरजन्ट सिंह को नियमानुसा[illegible]मत तरीके से खातेदारी अधिकार प्रापत हुवे थे और साधिकार [illegible] बतौर खातेदार नामान्तरण भी दर्ज हुआ। गुरचरण सिंह [illegible] उपरात उसके वारिसान साधिकार काबिज काश्त चले आ रहे हैं। जिनके पक्ष में नियमानुसार विरास्तन इन्तकाल भी दर्ज हुआ। अप्रार्थी सतनाम सिंह ने खातेदारान अप्रार्थीया ज[illegible]र कौर व गुरजन्ट सिंह से क्रमशः 0.633है. व 0.126है. कुल 0.759है. अर्थत 3–00बीघा नहरी भूमि बरूवे पंजीकृत दस्तावेज बैयनामा दिनांक 05.07.2004 व अप्रार्थी सुखजीत सिंह ने खातेदार अप्रार्थीया जसवीर कौर से 1.240है. कमाण्ड अर्थात 4–18 बीघा नहरी बरूवे पंजीकृत बैयनामा दिनांक 19.01.2007 पूर्ण

Signature Not Verified
Digitally signed by Arpita Soni
Date: 2021.02.02 13:46:10 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी राजस्व
रायसिंहनगर

Scanned with CamScanner

प्रतिफल रोबरू साक्षीगण अदा करते हुये खरीद से काब्जा प्राप्त कर सदभावी क्रेता की हैसियत से निरन्तर खरीद के रोज से काबिज काश्त चले आ रहे है ताा राजस्व रिकार्ड में नामान्तरण भी हो चुके हैं, जिन्हे कभी प्रश्नगत नहीं किये और अंतिम हो चुके हैं। प्रार्थीया सदभावी नहीं हैं। और क्लीन हैण्ड से न्यायालय में नहीं आई है। प्रार्थना पत्र खारिज करने हेतु निवेदन किया।

अप्रार्थी सं. 2–3–5/1–5/3–5/4 ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विवादित रकबा रूप सिंह को आवंटित नहीं था ना ही रूप सिंह द्वारा कोई राज रकम अदा की गई थी। बल्कि रूपसिंह के पुत्रों गुरचरण सिंह बन्तासिंह व गुरजन्ट सिंह को आवंटित होकर उनके द्वारा किश्ते आदि खजाना राज में जमा करवाने व उनका कब्जा काश्त होने से भूमि उन्हे खातेदारी अधिकार हासिल होकर उनके नाम से रिकार्ड में खातेदारी दर्ज हुई। मुताबिक रिकार्ड रूप सिंह को खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं थे इसलिए प्रार्थीया कोई 1/6 हिस्सा घोषित करवा पाने की विधिक अधिकारी नहीं हैं। प्रार्थीया ने मृतक व्यक्तियों जिसे बतौर अप्रार्थीगण सं. 4/1 जसा सिंह व घोषी पक्षकार के रूप में संयोजित किया है। विवादित रकबा गुरचरण सिंह बन्ता सिह व गुरजन्टसिंह के पक्ष में जरये नामान्तरण खातेदारी दर्ज होन उनके देहान्त उपरान्त विभिन्न तारीखों में उनके वारिसान के हक में विरास्तन नामान्तरण दर्ज होने व अप्रार्थीगण सं. 7 व 8 के पक्ष में बरूवे बैयनामाजात नामान्तरण दर्ज होने की भलीभांती जानकारी प्रारम्भ से प्रार्थीया को होने से उसकी ओर से समस्त नामान्तरण को सक्षम अपीलीय न्यायालय में कभी चुनौती नहीं दी गयी। जो अंतिक हो चुके हैं। अप्रार्थीगण सं. 7 व 8 के पक्ष के पंजीकृत दस्तावेज बैयनामाजात को सिविल न्यायालय में चुनौति दी जा सकती हैं। प्रार्थीया सदभावी नहीं हैं। प्रकरण मिथ्या व आधारहीन तथ्यों पर अप्रार्थीण्गा को नाहक हैरान परेशान करने व नुकसान पहूंचाने के आश्य से पेश किया है, जो काबिल निरस्ती है। प्रार्थना प्रार्थीया खारिज फरमाने हेतु निवेदन किया।

अप्रार्थी सं. 1/2 एवं 4/3 द्वारा अपने जवाब प्रार्थना पत्र में अप्रार्थी सं. 2–3 आदि के जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों का अंकन करते हुए निवेदन किया कि प्रार्थीया ने मृतक व्यक्तियों के विरूद्ध वाद पेश किया हैं, वाद में पक्षकारों के असंयोजन/कुसंयोजन का दोष होने से वाद काबिल निरस्ती के होने के प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्टि में ही काबिल निरस्ती के हैं। प्रतिवादीया 1/1 का नाम जसवीर कौर न होकर बलजीत कौर व प्रतिवादी सं. 4/3 का नाम ज़िन्द्र सिंह न होकर सुखजिन्द्र सिंह हैं। वाद में नाम व पते गलत दर्ज होने से वाद सीपीसी प्रावधानों के वपरीत होने से काबिल निरस्ती के हैं। प्रार्थना पत्र प्रार्थीया खारिज करने हेतु निवेदन किया।

प्रकरण में प्रार्थी जगजीत सिंह पुत्र हरबंश सिंह जाति रायसिख निवासी बिशनपुरा (12 एनआरडी) तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज. की ओर से प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 एवं धारा 151 सीपीसी के तहत प्रस्तुत हुआ। प्रार्थना पत्र पर बहस के समय वकील प्रार्थी(वादी) को सुना गया। प्रार्थी जगजीत सिंह ने प्रार्थना पत्र में निवेदन किया है कि जगजीत सिंह ने अप्रार्थी सतनाम सिंह के रकबे में से जरिये पंजीकृत बैयनामा दिनांक 01.08.2016 खरीद की हैं, प्रार्थी प्रभावित पक्षकार हैं अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर बतौर अप्रार्थी पक्षकार संयोजित करने हेतु निवेदन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। वादीया द्वारा वाद पत्र अपने अधिकारों की घोषण करवाने का पेश किया गया हैं। जो कि अप्रार्थीगण के नाम से खातेदारी भूमि हैं। तथा प्रार्थी जगजीत सिंह ने निवेदन किया हैं कि उसके द्वारा अप्रार्थी से भूमि क्रय की हुई हैं जिस कारण वह प्रकरण में आवश्यक प्रभावित पक्षकार हैं। प्रार्थीया ने अपने वादपत्र/प्रार्थना पत्र के साथ राजस्व रिकार्ड की प्रतियां पेश की गयी हैं जिसमें भूमि रूप सिंह पुत्र फुमण सिंह कौम जटसिख सा. झोटेवाला सा. देह पुख्ता आवंटन 1955 के पूर्व का अंकित हैं जो बाद में अप्रार्थीगण गुरचरण सिंह गुरजन्ट सिंह बन्ता सिंह पि0 रूप सिंह के नाम से अंतरित हुई हैं। ऐसे में प्रार्थी जग[illegible] की भूमि में कितना हक हिस्सा हैं, तथा वादीया के हितों से संबंधित निर्णय मूल [illegible] में वा[illegible] बिन्दु कायम कर साक्ष्यों के आधार पर किया जाना हैं। अतः प्रार्थ[illegible] के हित संरक्षण के [illegible] न्यायहित में प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 धारा 151 सीपीसी [illegible] स्वीकार किया जा[illegible]

अधिवक्ता अप्रार्थी के प्रार्थना करने पर बहस वकील उभयपक्ष सुनी गयी। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हु[illegible] कथन किया कि प्रार्थीया के पिता को भूमि आवंटन हुई थी। उनके देहान्त के पश्चात उक्त भूमि पर प्रार्थीया का 1/6 हिस्सा विरास्तन अधिकार बनता हैं। यदि अप्रार्थीगण के विरूद्ध निषेधाज्ञा पारित नहीं की जाती हैं तो प्रार्थीया के अधिकारों का हनन होगा तथा उसके कभी न पूरा होने वाली क्षति होगी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Arpita Soni
Date: 2021.02.02 13:46:10 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी राजस्व
रायसिंहनगर

Scanned with CamScanner

वील अप्रार्थीगण के अपनी बहस में कथन किया कि रूपसिंह के लड़कों के नाम से खातेदारी ारी हुई। जो उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज हैं। प्रार्थीया द्वारा वादपत्र/ ार्थना पत्र मृतक अप्रार्थी सं. 4/1 एवं 4/2 के विरूद्ध पेश किया गया है, जो दावा पेश करने के दिन से पूर्व से मृतक थे अतः दावा अबेट हो चुका हैं। अप्रार्थी सं. 7–8 सदभावी होता हैं। प्रार्थीया 20 वर्ष बाद दावा लेकर आई है वह सदभावी नहीं हैं। तथा क्लीनहैण्ड यायालय में नहीं आई हैं। यदि खातेदार टेनेन्ट के विरूद्ध किसी प्रकार की निषेधाज्ञा पारित ी जाती हैं तो अपूर्णीय क्षति प्रार्थीया की अपेक्षा अप्रार्थीगण को होगी। वकील प्रार्थीया ने अपनी बहस में कथन किया कि अप्रार्थी की मृत्यु की सूचना उन्हें नहीं थी। और ना ही अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीया को इसकी सूचना दी गयी। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीया अस्वीकार किया जावे। तथा न्यायालय द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा को निरस्त फरमाया जावे। वकील प्रार्थी ने न्यायिक दृष्टांत Citation 2020(2) CJ (CIV.) (SC) 479 Vineeta Sharma vs. Rakesh Sharma & Ors. Civil Appeal Diary No. 32601 of 2018 Decided on 11th Aug., 2020 की प्रति पेश की।

बहस वकील उभयपक्ष पर मनन किया। तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रार्थीया ने विवादित रकबा प्रार्थीया करनैल कौर के पिता रूप सिंह को आवंटित हुआ था। अतः पुत्री होने से प्रार्थीया विविध वारिस हैं, तथा 1/6 हिस्सा घोषित करवाने की अधिकारी है बाबत दावा पेश किया हैं। प्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र के समर्थन में वारिसनामा, जमाबंदी, खसरा गिरदावरी व नामान्तरण की प्रतिलिपियां पेश की हैं। अतः प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थीया के पक्ष में प्रतीत होता हैं। वकील प्रार्थीया की ओर से प्रस्तुत माननीय उच्चतम न्यायालय के नवीनतम निर्णय 11.08.2020 के परिप्रेक्ष्य में तथा उच्च न्यायालयों द्वारा समय समय पर दिए गए निर्णयों के आलोक में प्रार्थीया करनैल कौर अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने की अधिकारी हैं। चूंकि विवादित भूमि यदि अप्रार्थीगण द्वारा रहन–बैय कर दी जाती हैं तो अपूर्णीय क्षति अप्रार्थीगण की अपेक्षा प्रार्थीया को होगी। तथा मुकदमेबाजी बढेगी। अतः अपूर्णीय क्षति का प्रश्न प्रार्थीया के पक्ष में हैं। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र प्रार्थीया स्वीकार किया जाना न्यायोचित्त प्रतीत होता हैं।

उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर न्यायालय द्वारा दिनांक 10.07.2019 को अप्रार्थीगण के विरूद्ध पारित अस्थाई निषेधाज्ञा "चक 11 एनआरडी तहसील रायसिंहनगर का मु.नं. 24 प.नं. 112/311 में 12 बीघा नहरी व 12 बीघा बारानी कुल 24 बीघा नहरी बारानी एवं चक 12 एनआरडी का मु.नं. 15 प.नं. 113/315 में 6.200है. नहरी मय खाला कुल तादादी 12.272है. नहरी मय खाला भूमि में से प्रार्थी के हक हिस्से तक की भूमि पर रिकार्ड की यथास्थिति बनायें रखें।" को मूल वाद निर्णय तक कन्फर्म किया जाता हैं।

निर्णय आज दिनांक 19.01.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अर्पिता सोनी)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी/सहायक कलक्टर
रायसिंहनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Arpita Soni
Date: 2021.02.02 13:46:12 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner